

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी


मुकाम

ग्राम सेदरिया पंचायत

राधा..... बनाम उगमा सिंह

किस्म मुकदमा 212..... नम्बर 83 / 2002..... सन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.05.2018	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में ग्राम सेदरिया में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। प्राथीयों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर उभय पक्षकारान को सुना गया। प्राथीयों वक्त दावा दायरी कब्जे काश्त व खातेदार हो ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। कानूनी बिन्दू वाद कायमी तनकीयात तय किए जाएंगे। प्रथम दृष्टया यदि रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सवंत नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


अध्यक्ष

लोक अदालत एवं
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर